



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2015/चैत्र 9, 1937

No. 113]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2015 /CHAITRA 9, 1937

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

सं. एन-10/19(ए)/2013-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 और धारा 11 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती [भारतीय प्रसारण निगम (सिविल निर्माण स्कंध में मुख्य अभियंता (सिविल) के वरिष्ठ वित्त अधिकारी और वित्त अधिकारी] भर्ती विनियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण इनका पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. वरिष्ठता.—इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती होने वाले अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारतीय भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों में कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, इनसे संबंधित जिनका सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान
1	2	3	4
वरिष्ठ वित्त अधिकारी	*1 (2015) * परिवर्तन कार्य की मात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय यह संख्या निगम में प्रति-नियुक्ति-वत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'ए'	पे बैंड-3 (रु. 15600-39100) और रु. 6600/- ग्रेड पे

क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं
5	6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा टिप्पणी: किसी भी व्यक्ति के चयन के लिए प्रसार भारतीय बोर्ड का परामर्श आवश्यक है।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: (i) किसी भी संगठित लेखीय सेवाओं में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकार: या (ii) किसी भी संगठित लेखीय सेवाओं में ग्रेड पे-5400 रु. के साथ पे-बैंड 3 पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा। या (iii) किसी भी संगठित लेखीय सेवाओं में इस ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा के साथ लेखा परीक्षा या लेखा अधिकारी। (इसी कार्यालय या किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं

1	2	3	4
मुख्य अभियंता (सिविल) के वित्त अधिकारी	*1 (2015) * परिवर्तन कार्य की मात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह संख्या निगम में प्रति-नियुक्ति-वत सरकारी	ग्रुप 'बी'	पे बैंड-2 (रु. 9300-34800) और रु. 4600/- ग्रेड पे

	कर्मचारी और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए।		
--	--	--	--

5	6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	1 2
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा टिप्पणी: किसी भी व्यक्ति के चयन के लिए प्रसार भारती बोर्ड का परामर्श आवश्यक है।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: किसी भी संगठित लेखा विभाग जैसे – भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग आदि में लेखा या लेखा परीक्षा अधिकारी या अधीनस्थ लेखा सेवा, लेखाकार के पद पर कार्यरत अधिकारी जिसने 5 वर्ष तक कार्य किया हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं

त्रिग्रेडियर एस. विश्वानाथन, (अव. प्राप्त), अपर महानिदेशक (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/असा./163/14]

PRASAR BHARATI
(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2015

No. N-10/19(A)/2013-PPC.—In exercise of the powers conferred by Section 9 and sub-section (5) of Section 11 read with clause (d) of sub-section (2) of Section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Financial Officer and Financial Officer to Chief Engineer (Civil) in Civil Constructing Wing) Recruitment Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of posts, their classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 12 of the said Schedule.

4. Seniority.—The inter-se seniority of Officers who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard,

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.
1	2	3	4
Senior Financial Officer	1* (2015) * Subject to variation dependent on the work load. Note: The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'A'	Pay Band-3 (Rs. 15600-39100/-) and Grade Pay of Rs. 6600/-

Whether selection post or non selection	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
5	6	7	8
Not applicable	Not applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
9	10	11	12
Not applicable.	By transfer on deputation. Note: Consultation with Prasar Bharati Recruitment Board is necessary while selecting a person	Transfer on Deputation : (i) Officers holding analogous posts on regular basis in any of the organized Accounts services; OR (ii) 5 years regular service in posts in Pay Band- 3 with Grade Pay of Rs 5400/- in any organized Accounts Service OR (iii) Audit or Accounts Officers from any of the organized Accounts Department with 7 years regular service in the grade (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not exceed 3 years)	Not applicable.

1	2	3	4
Financial Officer to Chief Engineer (Civil)	1* (2015) * Subject to variation dependent on the work load. Note: The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'B'	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800/-) and Grade Pay of Rs. 4600/-

5	6	7	8
Not applicable	Not applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

9	10	11	12
Not applicable.	By transfer on deputation Note: Consultation with Prasar Bharati Recruitment Board is necessary while selecting a person.	Transfer on deputation : Officers of the rank of Accounts or Audit Officer, or Subordinate Accounts Service, Accountants with 5 years service such as from any of the organised Accounts Departments, namely, Indian Audit and Accounts Department, Indian Railway Accounts Department and Indian Defence Accounts Department etc. (Period of Deputation shall not ordinarily exceed 3 years)	Not applicable.

Brig S. VISVANATHAN (Retd.), Addl. Director General (Admn.)
[ADVT-III/4/Exty./163/14]